सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.6.18 पत्रावली "न्याय आपके द्वार" शिविर डाबला में प्रस्तुत हुई। प्रकरण में पक्षकारान के मध्य सहमति के आधार पर विभाजन हो चुका है तथा इससे संबंधित वाद खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना-पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी शीतल कुमार होकर नेकर के बस हो।

अतिरिक्त कलक्टर
डीडवाना